प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021

प्र.सं. 09/2020 अन्तर्गत 251ए आरटीएक्ट
प्रमोद आदि बनाम सरकार
जीसीएमएस : 2020/00119

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
18.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्रा.पं. 5 टीके में पेश हुई। प्रार्थीगण हनुमान एवं धोलूराम उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमिगत पाईपलाईन डालने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर से पूर्व में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी सं. 1 व 2 पिता पुत्र है, तथा संयुक्त काश्त करते है, इसका पानी की बारी मु.नं. 16 व 20 की बारी एक साथ बंधी हुई हैं। प्रार्थी सं. 2 के मु.नं. 20 के कि.नं. 25 में सिंचाई के लिए ट्यूबवैल व डिग्गी बनी हुई हैं। चक 4 टीके में प्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि मु.नं. 16 कि.नं. 21 से मु.नं. 20 के कि.नं. 25 तक व प्रार्थी सं. 3 के मु.नं. 21 के कि.नं. 2,3,4,5 से होते हुए मु.न. 20 के कि.नं. 1,2, 3,4,7,14,17 से हेाते हुए 25 तक पाईपलाईन डालने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया। एवं निवेदन किया कि प्रार्थी सं. 3 पूर्ण रूप से सहमत हैं। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/राजस्व/2021/1323 दिनांक 06.09.21 का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट एवं फर्द मौका अनुसार धोलूराम पुत्र हंसराज व हनुमान पुत्र मनफूल ने अपने रकबे में से पाईप लाईन डालने की सहमति व्यक्ति की हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर रिपोर्ट में अंकित हैं कि सहमति के आधार पर नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जानी उचित हैं। उक्त रकबा के संबंध में किसी न्यायाल का स्थगन नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। लिहाजा उक्त विवेचन, प्रार्थीगण की सहमति एवं रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को प्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 4 टीके के मु.नं. 16 कि.नं. 21 से मु.नं. 20 के कि.नं. 25 तक व प्रार्थी सं. 3 की भूमि मु.नं. 21 के कि.नं. 2,3,4,5 से होते हुए मु.न. 20 के कि.नं. 1,2, 3,4,7,14,17 से हेाते हुए 25 तक भूमिगत पाईपलाईन डालने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.11.2021 को लिखाया जाकर मजमा–ए–आम में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Arpita Soni Date: 2022.02.21 17:10:11 IST Reason: SelfAttested (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प – 5 टीके	

Scanned with CamScanner